



न्यायालय

पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल, मध्यप्रदेश

(नया पुलिस कंट्रोल रूम, चतुर्थ तल, जहांगीराबाद- भोपाल- 462008)

क्र.-पु.आयु./न.नि.क./भोपाल/ आ० 33 /26

दिनांक- 26/10/2026

//आदेश//

(अंतर्गत धारा- 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली एवं आगामी त्योहारों के दौरान लोक-शांति, सार्वजनिक सुरक्षा तथा आम नागरिकों के जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा किया जाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शहर में अवैध रूप से प्रतिबंधात्मक आतिशबाजी, लोहा, स्टील तथा पीव्हीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि करने वाले अवैध संशोधित फटाखे जैसे- कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप, कार्बाइड लैम्प अथवा इसी प्रकार के उपकरणों को तैयार कर विक्रय किये जाने की आशंका है। जिनके उपयोग से आमजन के गंभीर रूप से घायल होने, आंखे चोटिल होने, गंभीर रूप से बीमार होने, आग लगने, विस्फोट होने, गंभीर शारीरिक चोट पहुंचने तथा सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले बाजारों, आवासीय बस्तियों, संकरे मार्गों, सार्वजनिक स्थलों एवं बच्चों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के उपकरणों का उपयोग मानव जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। इनके निर्माण एवं उपयोग में ज्वलनशील गैस, कैल्शियम कार्बाइड तथा अन्य संबंधित सामग्री का अनुचित प्रयोग दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। उक्त अवांछनीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे अवैध फटाखों, उपकरणों के अनियंत्रित निर्माण, क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं उपयोग पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः भोपाल शहर में कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने तथा जन सामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मैं संजय कुमार, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा – 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ :-

कोई भी व्यक्ति, संस्था एवं व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखा/आतिशबाजी, लोहा, स्टील तथा पीव्हीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि करने वाले अवैध संशोधित फटाखे जैसे- कार्बाइड गन/कार्बाइड तोप/कार्बाइड लैम्प अथवा समान प्रकृति के धमाका उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग करने के उद्देश्य से अवैध निर्माण, संयोजन, रूपांतरण, मरम्मत, असेंबलिंग एवं खरीदना, बेचना, बिक्री के लिए प्रदर्शित करना, वितरण करना, भण्डारण करना, आपूर्ति करना अथवा व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराये जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

चूँकि यह आदेश आम जनता को संबोधित है एवं जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जिसकी व्यक्तिशः सूचना दिया जाना संभव नहीं होने एवं समयाभाव के कारण यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर किन्हीं भी लागू शर्तों से छूट ले सकेगा।

यह आदेश लागू होने की दिनांक से आगामी 02 माह तक वैध रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। यह आदेश आज दिनांक 26.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रांकित कर जारी किया गया है।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2026.10.26
20:39:18 +05'30'

(संजय कुमार भा.पु.से.)

पुलिस आयुक्त

नगरीय पुलिस भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
2. कलेक्टर जिला भोपाल ।
3. आयुक्त, जनसंपर्क भोपाल ।
4. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा/ अपराध एवं मुख्यालय नगरीय पुलिस भोपाल ।
5. आयुक्त, नगर निगम भोपाल ।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल ।
7. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल ।
8. समस्त थाना प्रभारी नगरीय पुलिस भोपाल ।

SANJAY Digitally signed by
KUMAR SANJAY KUMAR
Date: 2026.10.26
20:39:54 +05'30'

पुलिस आयुक्त
नगरीय पुलिस भोपाल